न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 117/दो/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29.9.2001 – पारित व्दारा अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना – प्रकरण क्रमांक 26/2000–01 अपील

दुर्गाप्रसाद पुत्र काना
ग्राम मसावनी
तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

कैलाश नारायण पुत्र राधावल्लभ
ग्राम गलमान्या तहसील व जिला
श्योपुर मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 14 – X – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2001 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मसावनी स्थित कुल किता 7 कुल रकबा 14 वीघा 7 विसवा की भूमिस्वामिनी महिला केशर पत्नि काना थी। इस भूमि पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1996 के अनुसार अपर तहसीलदार कराहल के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5/95–95 अ 6 से नामान्तरण कार्यवाही प्रारंभ हुई, जिसमें आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा स्वयं को मृतक महिला केशर एंव काना का दत्तक पुत्र बताया गया। सुनवाई दिनांक 16.4.98 को आपत्तिकर्ता आवेदक के अनुपस्थित

रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अपर तहसीलदार कराहल ने आदेश दिनांक 20.4.1998 से क्रेता अनावेदक का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 2/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-2000 से अपील स्वीकार कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के यहं अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 26/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2001 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 14.11.2000 निरस्त करते हुये अपर तहसीलदार कराहल के आदेश दिनांक 20.4.1998 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने से प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 22द्य/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.7.97 से प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया था और तहसील न्यायालय में पुनः हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर मिला, किन्तु सुनवाई के दौरान आवेदक पेशी 16.4.98 को सूचना उपरांत जानबूझकर अनुपस्थित हो गया एंव अंतिम आदेश दि. 20.4.98 तक उसने प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी भी नहीं

ली। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी परिलक्षित है कि पद 2 में वर्णित भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर किया गया है, जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं कराया जाता - पंजीकृत विक्रय पत्र पर से नामान्तरण कार्यवाही की जायेगी। राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने अथवा उसे शून्य घोषित करने हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 26/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2001 से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 14.11.2000 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 26/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर